

१०९

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
चौथी मंजिल, नेहरू सहकार भवन, भवानीसिंह रोड, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

अनुक्रमणिका

बिन्दु संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
01.	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	01
02.	स्वीकृत-कार्यरत् तथा रिक्त पदों का विवरण	01 से 02
03.	प्रमुख विभागीय कार्य तथा प्रमुख कार्यों के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना	03 से 11
04.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां।	11 से 12
05.	सार-संक्षेप (Executive Summary)	12 से 13

२

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथी मंजिल, नेहरू सहकार भवन, भवानीसिंह रोड़, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक की स्थिति)

प्रस्तावना :-

01 जुलाई 1956 से राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर राजकीय उपक्रम के रूप में कार्य कर रहा है। कम्पनी के 99.97 प्रतिशत अंश राज्य सरकार के हैं शेष अंशों पर निजी अंशधारियों का स्वामित्व है।

1. विभाग का संगठनात्मक ढाँचा :-

1.1 संस्थान कम्पनी अधिनियम में एक पंजीकृत "कम्पनी" है, जिसका पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय, नेहरू सहकार भवन, जयपुर में स्थित है। कम्पनी का संचालक मण्डल है जिसके, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कम्पनी के पदेन प्रभारी संचालक हैं। प्रभारी संचालक को प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने हेतु मुख्यालय जयपुर में महाप्रबन्धक (मुख्यालय) पदस्थापित है। शुगर फैक्ट्री के सम्पूर्ण कार्य कलापों को देखने के लिये एक महाप्रबन्धक का पद श्रीगंगानगर में है। विभागीय कार्य कलापों को प्रभावी रूप से संचालित किये जाने हेतु वित्तीय सलाहकार, उप महाप्रबन्धक (उ. एवं वि./क्रय/प्रशासन एवं कार्मिक/ऑडिट-टैक्स), कम्पनी सचिव तथा अन्य अधिकारीगण पदस्थापित है।

1.2 अन्य कार्यालयों की स्थिति :-

(अ) शुगर फैक्ट्री एवं आसवन शाला मदिरा संभाग - श्रीगंगानगर

(ब) मदिरा संभाग :-

क्र. सं.	मदिरालयों की संख्या	मदिरालय के नाम	मदिरालयों से सम्बद्ध डिपो की संख्या
1.	2	अजमेर-भीलवाडा	13
2.	3	झोटवाडा-जयपुर, झुन्झुनू, सीकर	16
3.	3	मण्डौर, रानी, सिरोही	15
4.	3	कोटा, बारां बून्दी	08
5.	2	उदयपुर, चित्तौडगढ	11
6.	4	भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर	14
7.	2	हनुमानगढ, खारां (बीकानेर)	12
	19	योग	89

2. संस्थान के स्वीकृत (कार्यरत एवं रिक्त) पदों का विवरण (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति) :-

क्र. सं.	पद का नाम	रनिंग पे बेण्ड + ग्रेड पे+पे-लेवल	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	5	6	7
1.	महाप्रबन्धक	प्रतिनियुक्ति पद	2	2	0
2.	उप महाप्रबन्धक	15600-39100/7600, L-19	5	2	3
3.	कम्पनी सचिव	15600-39100/6600, L-16	1	1	0
4.	वरिष्ठ प्रबन्धक	15600-39100/6600, L-16	5	1	4
5.	प्रबन्धक	9300-34800/5400, L-13	5	0	5
6.	उप प्रबन्धक	9300-34800/4800, L-12	20	7	13
7.	सहायक प्रबन्धक-I	9300-34800/4200, L-11	15	2	13
8.	सहायक प्रबन्धक-II	9300-34800/3600, L-10	31	20	11
9.	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200/2800, L-08	45	39	6
10.	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200/2400, L-05	90	82	8
11.	उप प्रबन्धक (लीगल)	9300-34800/4800, L-12	1	0	1

12.	सहायक प्रबन्धक II/लीगल	9300-34800/3600, L-10	2	0	2
13.	सहायक अभियन्ता (मदिरा इकाई)	9300-34800/4200, L-11	2	02	0
14.	वाहन चालक	5200-20200/2400, L-05	10	10	0
15.	सुरक्षा संतरी	5200-20200/1700, L-01	2	0	2
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200/1700, L-01	44	28	16
17.	वरिष्ठ निजी सचिव	15600-39100/6600, L-16	1	1	0
18.	निजी सचिव	9300-34800/5400, L-13	1	0	1
19.	वरिष्ठ निजी सहायक	9300-34800/4800, L-12	2	1	1
20.	निजी सहायक	9300-34800/4200, L-11	2	0	2
21.	स्टेनाग्राफर	9300-34800/3600, L-10	4	0	4
22.	ए.सी.पी. (उपनिदेशक)	15600-39100/6600, L-16	1	1	0
23.	प्रोग्रामर	15600-39100/4800, L-12	2	1	1
24.	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800/3600, L-10	2	6	-4
25.	सूचना सहायक	5200-20200/2800, L-08	27	17	10
26.	वित्तीय सलाहकार	प्रतिनियुक्ति पद	1	1	0
27.	प्रबन्धक (लेखा)	9300-34800/5400, L-13	3	0	3
28.	उप प्रबन्धक (लेखा)	9300-34800/4800, L-12	10	7	3
29.	लेखाकार	9300-34800/4200, L-11	10	7	3
30.	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800/3600, L-10	12	5	7
31.	लेखा लिपिक	5200-20200/2800, L-08	15	3	12
32.	सहायक लेखा लिपिक	5200-20200/2400, L-05	18	15	3
33.	मुख्य अभियन्ता	15600-39100/8200, L-20	1	0	1
34.	उप-मुख्य अभियन्ता	15600-39100/6600, L-16	1	0	1
35.	वरिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	9300-34800/5400, L-13	1	0	1
36.	वरिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	9300-34800/5400, L-13	0	0	0
37.	वरिष्ठ अभियन्ता (मैकेनिकल)	9300-34800/5400, L-13	1	0	1
38.	सहायक अभियन्ता	9300-34800/4200, L-11	2	2	0
39.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	9300-34800/3600, L-10	1	0	1
40.	कनिष्ठ अभियन्ता (इन्सट्रुमेन्टेशन)	9300-34800/3600, L-10	1	1	0
41.	ड्राफ्टमैन	5200-20200/2800, L-08	0	0	0
42.	मुख्य रसायनिज्ञ	15600-39100/7600, L-19	1	1	0
43.	उप-मुख्य रसायनिज्ञ	15600-39100/6600, L-16	1	1	0
44.	वरिष्ठ रसायनिज्ञ	9300-34800/5400, L-13	1	1	0
45.	कैमिस्ट/लैब इंचार्ज	9300-34800/4800, L-12	3	1	2
46.	मुख्य गन्ना विकास अधिकारी	15600-39100/7600, L-19	1	1	0
47.	उप गन्ना विकास अधिकारी कम वरिष्ठ प्रसार अधिकारी	9300-34800/5400, L-13	1	0	1
48.	गन्ना प्रसार अधिकारी	9300-34800/3600, L-10	1	0	1
49.	मुख्य डिस्टलरी कैमिस्ट	15600-39100/7600, L-19	1	1	0
50.	उप मुख्य डिस्टलरी कैमिस्ट	15600-39100/6600, L-16	0	0	0
51.	वरिष्ठ कैमिस्ट	9300-34800/5400, L-13	2	0	2
52.	कैमिस्ट कम ब्लैन्डर लैब इंचार्ज	9300-34800/4800, L-12	3	2	1
53.	सहायक डिस्टलरी कैमिस्ट	9300-34800/4200, L-11	10	0	10
54.	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200/2800, L-08	2	0	2
55.	कम्पाउंडर/नर्स (प्रतिनियुक्ति)	5200-20200/2800, L-08	1	0	1
56.	सुरक्षा अधिकारी	9300-34800/4800, L-12	1	0	1
57.	सीजनल कनिष्ठ लिपिक	5200-20200/2400, L-05	2	2	0
	कुल योग		431	275	156

3. संस्थान के प्रमुख कार्य तथा प्रमुख कार्यों के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत वर्ष से तुलना :-

- शुगर फैक्ट्री चक 23 एफ श्री करणपुर श्रीगंगानगर में गन्ने से चीनी का उत्पादन।
- शुगर फैक्ट्री चक 23 एफ श्री करणपुर श्रीगंगानगर में नई आश्वनी में शोधित प्रासव का उत्पादन।
- राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 19 मदिरा निर्माण केन्द्रों (रिडक्शन सेटर्स) पर देशी मदिरा का उत्पादन।
- संस्थान के झोटवाड़ा, जयपुर संयंत्र में हैरिटेज मदिरा का उत्पादन।
- जिला/तहसील स्तर पर 89 मदिरा डिपो के माध्यम से राज्य सरकार के नियमों तथा निर्देशानुसार आबकारी विभाग के खुदरा अनुज्ञापत्र धारी दुकानों को देशी मदिरा की आपूर्ति।
- आबकारी नीति 2019-20 के अनुसार 25UP IMFL (EDP Upto Rs. 550) का निर्माण, निर्गमन व विक्रय संस्थान द्वारा प्रारम्भ किया गया एवं आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में आईएमएफएल के स्थान पर राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) 25 यूपी (ईडीपी रु0 640/-) का निर्माण, निर्गमन व विक्रय संस्थान द्वारा प्रारम्भ किया गया है।

3.1 चीनी संभाग :-

3.1.1 चीनी उत्पादन :-

वर्ष	गन्ना पिराई की गई (लाख किंव0 में)	रिकवरी प्रतिशत	उत्पादित चीनी की मात्रा (लाख किंव0 में)
2016-2017	11.89	8.55	1.04
2017-2018	7.73	9.02	0.71
2018-2019	11.61	09.18	01.07
2019-2020	10.83	8.03	0.87
2020-2021	1.25	4.94	0.017

3.1.2 नवीन परियोजना का विवरण :-

- नई एकीकृत चीनी मिल परियोजना के तहत ग्राम चक 23 एफ (श्रीगंगानगर से 30 कि.मी.), तह. करणपुर, जिला श्रीगंगानगर में 1500 टन प्रतिदिन पिराई क्षमता (भविष्य में 2500 टन प्रतिदिन पिराई क्षमता वृद्धि के प्रावधान सहित) की शुगर मिल ट्रायल दिनांक 15.01.2016 से प्रारम्भ हुआ तथा पिराई सत्र दिनांक 11.05.2016 को समाप्त हुआ। वर्ष 2016-17 में दिनांक 14.12.2016 से पिराई सत्र प्रारम्भ किया गया है, तथा दिनांक 11.04.2017 को समाप्त हुआ। सत्र 2016-17 में 11.89 लाख किंव0 गन्ना पिराई किया गया। सत्र 2017-18 दिनांक 21.12.2017 से पिराई सत्र प्रारम्भ किया गया है तथा दिनांक 01.03.2018 तक 7.73 लाख किंव0 गन्ना पिराई किया गया। सत्र 2018-19 दिनांक 27.12.2018 से प्रारम्भ होकर 10.04.2019 को समाप्त हुआ तथा दिनांक 10.04.2019 तक कुल 11.61 लाख किंव0 गन्ने की पिराई होकर 01.07 लाख किंव0 चीनी का उत्पादन हुआ। सत्र 2019-20 दिनांक 21.12.2019 से प्रारम्भ किया गया तथा दिनांक 25.03.2020 को समाप्त हुआ तथा 10.83 लाख किंव0 गन्ने की पिराई हुई एवं 0.87 लाख किंव0 चीनी का उत्पादन हुआ। पिराई सत्र 2020-21 दिनांक 19.12.2020 को प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 31.12.2020 तक 1.25 लाख किंव0 गन्ने की पिराई की गई तथा 0.0175 लाख किंव0 चीनी का उत्पादन किया गया।
- नई शुगर मिल के लिए कुल 37.695 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से 23.022 हैक्टेयर भूमि का कब्जा कम्पनी द्वारा लिया जा चुका है। 23.022 हैक्टेयर भूमि के हितबद्ध काश्तकारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में केस दायर कर रखा है जिसमें से केवल 2 याचिकाओं से सम्बन्धित 14.673 हैक्टेयर भूमि पर हितबद्ध काश्तकारों को बेदखल नहीं करने का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। अग्रिम सुनवाई की तिथि 19.02.2021 है।

- २०
- श्रीगंगानगर में आरएसजीएसएम द्वारा 30 किलोलीट्र (Kilo Litre Per Day) की नवीन डिस्टलरी स्थापित की गयी, जिसका संचालन दिनांक 24.11.2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 में 15.95 लाख बीएल, वर्ष 2017-18 में 17.83 लाख बीएल, वर्ष 2018-19 में 01.32 लाख बीएल तथा वर्ष 2019-20 में 20.17 लाख बीएल शोधित प्रासव का निमोण हुआ।
 - 4.95 मेगावॉट का पॉवर प्लांट भी लगाया जा चुका है तथा 2015-16 के सीजन के दौरान 11,892 यूनिट बिजली की आपूर्ति 132 केवीए जीएसएस कमीनपुरा को की गई है। वर्ष 2016 17 सीजन में कुल 31.32 लाख युनिट बिजली की आपूर्ति की गयी। सत्र 2017-18 में 20.19 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गयी है। सत्र 2018-19 में 24.90 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गयी है। सत्र 2019-20 में 32,20,089 यूनिट बिजली की आपूर्ति की गयी है।

3.2 मदिरा संभाग

- 3.2.1 वर्ष 2016-17 में 40 यू.पी. देशी मदिरा पक्वों का विक्रय मूल्य आर.एस बेरा आधारित ग्लास रु 405/- व आर.एस. आधारित पेट विक्रय मूल्य 376/- व ई.एन.ए. आधारित ग्लास रु 420/- तथा ई.एन.ए. आधारित पेट रु 391/- प्रति कार्टन निर्धारित है। 50 यू.पी. देशी मदिरा पक्वों का विक्रय मूल्य आर.एस. आधारित 357/- एवं ई.एन.ए. आधारित रु 370/- प्रति तथा 60 यू.पी. देशी मदिरा का विक्रय मूल्य रु 317/- प्रति कार्टन निर्धारित किया गया।
- वर्ष 2016-17 में मदिरा आपूर्ति का अनुपात आरएसजीएसएम का अधिकतम 43 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 57 प्रतिशत हिस्से में निजी बोटलिंग प्लांट का हिस्सा 12 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिया गया।
 - वर्ष 2016-17 में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के लिए मदिरा उत्पादन में ग्रेन एवं मोलासिस स्पिट प्रयोग हेतु 70:30 का अनुपात निर्धारित किया गया है।
 - वर्ष 2016-17 के लिए बोटलिंग चार्जज रु 5.00 प्रति बी.एल. निर्धारित किया गया है।
- 3.2.2 वर्ष 2017-18 में 40 यू.पी. देशी मदिरा पक्वों का विक्रय मूल्य आर.एस आधारित ग्लास रु 410/- व आर.एस आधारित पेट विक्रय मूल्य रूपये 380/- व ई.एन.ए. आधारित ग्लास रूपये 425/- तथा ई.एन.ए. आधारित पेट रूपये 395/- प्रति कार्टन निर्धारित किया गया है। 50 यू.पी. देशी मदिरा पक्वों का विक्रय मूल्य आर.एस. आधारित रूपये 360/- एवं ई.एन.ए. आधारित पेट रूपये 360/- एवं ई.एन.ए. आधारित रूपये 373/- तथा 60 यू.पी. देशी मदिरा पक्वों का विक्रय मूल्य रूपये 320/- प्रति कार्टन निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2017-18 के लिए बोटलिंग चार्जज रु 5.00 प्रति बी.एल. निर्धारित किया गया है।
 - वर्ष 2017-18 में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के लिये मदिरा उत्पादन में ग्रेन एवं मोलासिस स्पिट प्रयोग हेतु 70:30 का अनुपात पूर्व वर्षों की भांति जारी रखा गया है।
 - वर्ष 2017-18 मदिरा आपूर्ति का अनुपात स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. का अधिकतम 41 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 59 प्रतिशत है।
- 3.2.3 वर्ष 2018-19 में 40 यू.पी. देशी मदिरा प्रभावी विक्रय मूल्य आर.एस आधारित ग्लास रूपये 445/- व आर.एस. आधारित पेट विक्रय मूल्य रूपये 415/- व ई.एन.ए. ग्लास रूपये 460/- तथा ई.एन.ए. आधारित पेट रूपये 430/- प्रति कार्टन निर्धारित किया गया है। 50 यू.पी. देशी मदिरा पक्वों का विक्रय मूल्य आर.एस आधारित रूपये 395/- एवं ई.एन.ए. आधारित रूपये 408/- प्रति कार्टन निर्धारित किया गया है। केसर कस्तुरी (5 यू.पी) 750 एमएल की प्रति कार्टन विक्रय मूल्य रूपये 2160/- निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2018-19 के लिए बोटलिंग रु 5.00 प्रति बी.एल. किया गया है।

- वर्ष 2018-19 में स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के लिये मदिरा उत्पादन में ग्रेन एवं मोलासिस स्पिंट प्रयोग हेतु 70:30 का अनुपात पूर्व वर्षों की भांति जारी रखा गया है।

3.2.4 वर्ष 2019-20 में 40 यू.पी. देशी मदिरा पव्यों का विक्रय मूल्य आर.एस आधारित ग्लास रु 500/- व आर.एस आधारित पेट विक्रय मूल्य रूपये 460/- व ई.एन.ए. आधारित ग्लास रूपये 515/- तथा ई.एन.ए. आधारित पेट रूपये 475/- प्रति कार्टन निर्धारित किया गया है। 50 यू.पी. देशी मदिरा पव्यों का विक्रय मूल्य आर.एस. आधारित रूपये 430/- एवं ई.एन.ए. आधारित पेट रूपये 443/- प्रति कार्टन निर्धारित किया गया है।

- वर्ष 2019-20 के लिए बोटलिंग चार्ज रु 5.50 प्रति बी.एल निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2019-20 में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के लिये मदिरा उत्पादन में ग्रेन एवं मोलासिस स्पिंट प्रयोग हेतु 70:30 का अनुपात पूर्व वर्षों की भांति जारी रखा गया है।
- वर्ष 2019-20 में केसर कस्तुरी (5 यू.पी) 750 एमएल की प्रति कार्टन निर्गम मूल्य रूपये 2550/- एवं 180 एमएल की प्रति कार्टन निर्गम मूल्य रूपये 2640/- निर्धारित किया गया है।

3.2.5 आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल)आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में 40 यू.पी. देशी मदिरा पव्यों का विक्रय मूल्य आर.एस आधारित ग्लास रु 540/- व आर.एस आधारित पेट विक्रय मूल्य रूपये 490/- व ई.एन.ए. आधारित आरएमएल ग्लास रूपये 640/- तथा ई.एन.ए. आधारित आरएमएल एसेप्टिक रूपये 630/- प्रति कार्टन निर्धारित किया गया है। 50 यू.पी. देशी मदिरा पव्यों का विक्रय मूल्य आर.एस. आधारित रूपये 455/- एवं 50 यू.पी. आर.एस. आधारित एसेप्टिक रूपये 470/- प्रति कार्टन निर्धारित किया गया है।

- वर्ष 2020-21 के लिए बोटलिंग चार्ज रु 5.50 प्रति बी.एल निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2020-21 में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के लिये मदिरा उत्पादन में ग्रेन एवं मोलासिस स्पिंट प्रयोग हेतु 90:10 का अनुपात पूर्व वर्षों की भांति जारी रखा गया है।
- वर्ष 2020-21 में केसर कस्तुरी (5 यू.पी) 750 एमएल की प्रति कार्टन निर्गम मूल्य रूपये 2550/- एवं 180 एमएल की प्रति कार्टन निर्गम मूल्य रूपये 2640/- निर्धारित किया गया है।

3.2.6 गत 4 वर्षों में राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 स्वयं द्वारा उत्पादित देशी मदिरा आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	रिटेल अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति (लाख बी.एल. में)
1.	2016-17	796.70
2.	2017-18	819.71
3.	2018-19	899.63
4.	2019-20	922.82
5.	2020-21 (दिसंबर तक)	533.55

3.2.7 गत 4 वर्षों में राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 एवं निजी डिस्टलर्स द्वारा उत्पादित एवं आपूर्ति की गई देशी मदिरा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत एवं वास्तविक अर्जित मार्केट शेयर का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत		देशी मदिरा की बिक्री (लाख बी.एल. में)			वास्तविक अर्जित अनुपात प्रतिशत	
	RSGSM	निजी डिस्ट	RSGSM	निजी डिस्ट	योग	RSGSM	निजी डिस्ट
2016-17	43	57	796.70	1550.87	2347.57	33.93	66.07
2017-18	41	59	819.71	1755.58	2575.29	31.83	68.17

2018-19	41	59	899.63	1803.43	2703.06	33.28	66.72
2019-20	43	57	922.82	1719.43	2642.25	34.92	65.08
2020-21 (दिसंबर तक)	43	57	533.55	970.39	1503.94	35.48	64.52

3.2.8 गत 4 वर्षों में राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 एवं निजि डिस्टलर्स द्वारा उत्पादित देशी मदिरा की बिक्री राशी का विवरण :-

वर्ष	मदिरा संभाग बिक्री रूपये लाख में		
	RSGSM	प्राइवेट	कुल
2016-17	34654.51	65924.03	100578.54
2017-18	36156.83	75240.69	111397.52
2018-19	43291.88	84552.76	127844.64
2019-20	50850.92	87541.89	138392.81
2020-21 (दिसंबर तक)	29393.43	50498.74	79892.17

3.2.9 आबकारी नीति वर्ष 2020-21 की अनुपालना में संस्थान द्वारा माह अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) का उत्पादन एवं निर्गम किया गया, जिससे संस्थान को प्राप्त बिक्री राशि का विवरण निम्नानुसार है -

वर्ष	आरएमएल बिक्री रूपये लाख में		
	RSGSM	प्राइवेट	कुल
2020-21 (माह अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक)	29265.54	60416.00	89681.54

3.2.10 जनजातीय क्षेत्रों में मदिरा दुकानों का संचालन :-

वर्ष 2016-17 से जनजातीय क्षेत्र के जिले बांसवाडा एवं डूंगरपूर में राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

3.2.11 रॉयल हैरिटेज लिंकर :-

कम्पनी द्वारा राज्य के पूर्ववर्ती राजा महाराजाओं ठिकानेदारों व रजवाडों द्वारा प्राचीन काल में तैयार की गई शाही मदिरा की रैसिपी के आधार पर रॉयल हैरिटेज लिंकर निर्माण करने की महत्वपूर्ण योजना का प्रारम्भ वर्ष 2005-06 से जयपुर झोटवाड़ा डिस्टलरी में अर्द्धस्वचालित प्लांट में किया गया। वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में रॉयल चन्द्रहास एवं रॉयल सौफ ब्राण्ड का उत्पादन/विक्रय किया गया। वर्ष 2020-21 में आबकारी नीति की पालना में हैरिटेज संवर्ग की रॉयल चन्द्रहॉस, रॉयल सौफ का उत्पादन प्रारम्भ किया गया। हैरिटेज संवर्ग की रॉयल चन्द्रहॉस को 180 एम.एल. की पैकिंग में लाया जा चुका है एवं चन्द्रहॉस की 750 एमएल ग्लास बोतल में उत्पादन किया जाना प्रक्रियाधीन है। इस वर्ष रॉयल सौफ मदिरा का उत्पादन किया जा चुका है। उत्पाद को 750 एमएल की पैकिंग में बाजार में लाया गया है। वर्ष 2020-21 में संस्थान के डिपोज से भी हैरिटेज मदिरा की बिक्री प्रारम्भ की गयी है।

राजस्थान स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन तथा आरएसजीएसएम द्वारा उत्पादित रॉयल हैरिटेज लिंकर एवं आईएमएफएल की गत पांच वर्षों में हुई वास्तविक बिक्री (दिनांक 31.12.2020) निम्नानुसार है :-

Sl No.	Year	B.L.	Amount (in Lakh)
1.	2016-17	3160.50	19.34
2.	2017-18	3609.75	20.78
3.	2018-19	3946.50	30.16
4.	2019-20	554.40	06.85
5.	2020-21 (Till December)	2950.80	42.69

3.3 हैंड सेनेटाईजर्स

- 3.3.1 संस्थान द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत माह मार्च, 2020 से संस्थान के मदिरालयों पर हैंड सेनेटाईजर्स का निर्माण कर बिक्री की गयी। इस संबंध में राज्य सरकार के ड्रग कंट्रोलर विभाग से लाईसेन्स प्राप्त किया जाकर दिनांक 23.03.2020 से विभिन्न पैकिंग में हैंड सेनेटाईजर का उत्पादन संस्थान के मदिरालयों पर किया गया एवं वर्तमान में भी संस्थान के मदिरालय झोटवाड़ा (जयपुर) पर हैंड सेनेटाईजर का निर्माण कर प्रदेश में बिक्री की जा रही है। इस संबंध में दिनांक 23.03.2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक हैंड सेनेटाईजर के उत्पादन एवं बिक्री का विवरण निम्नानुसार है:-

Hand Sanitizers	Qty. (Nips)	Amount in Rs.lakhs
Free Distribution	1401296	253.00
Sales	3384068	1167.09

- 3.4 वित्तीय परिणाम :- गंगानगर शुगर मिल राज्य सरकार का एक लाभदायी उपक्रम है। वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	(रूपये लाखों में)				
	बिक्री		राज्य सरकार को भुगतान		अर्जित लाभ आयकर से पहले
	चीनी संभाग	*मदिरा संभाग	बोटलिंग फीस	विशेषाधिकार शुल्क	
2016-17	3158.77	100628.92	4004.12	1525.91	5669.19
2017-18	2809.09	111515.47	4095.45	1673.85	4422.51
2018-19	2719.00	127962.10	4500.53	1000.00	7328.18
2019-20	4906.81	136527.56	5130.27	500.00	8719.86

* देशी मदिरा, हैरिटेज मदिरा शोधित प्रासव, विकृत प्रासव तथा जनजाति क्षेत्र की खुदरा दुकानों की बिक्री सहित

3.5 न्यायिक प्रकरणों की स्थिति :-

मुख्यालय पर सहायक विधि परामर्शी के अधीन एक विधि प्रकोष्ठ कार्यरत हैं। इस प्रकोष्ठ द्वारा जहां विधिक बिन्दुओं पर राय दी जाती है, वहीं कम्पनी के विरुद्ध दायर अथवा कम्पनी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रकरणों में अग्रतर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 31.12.2020 को लम्बित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	प्रकरणों का विवरण	न्यायालय में लम्बित प्रकरण								
		उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर में विचाराधीन		अन्य राज्य के उच्च न्यायालय		अधीनस्थ न्यायालय	ग्रेच्युटी भुगतान प्राधिकारी	श्रम न्यायालय	योग
			जयपुर	जोधपुर	मुम्बई	दिल्ली				
1.	विचाराधीन	00	44	37	02	01	13	-	-	97
2.	जवाब पेश करना शेष है।	-	12	01	-	-	01	-	-	14
3.	निर्णय की क्रियान्वति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	अवमाना प्रकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6 राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे ई-गवर्नेंस से सम्बन्धित कार्यक्रम :-

3.6.1 संस्थान में कम्प्युटराईजेशन का कार्य राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिक नीति के तहत किया जा रहा है।

3.6.2 इसके अतिरिक्त उक्त वेबसाइट पर संस्थान से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ जैसे संस्थान के बारे में विस्तृत विवरण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट, संस्थान के मुख्य कार्य, संस्थान की शुगर मिल्स, लिकर डिविजन से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, संस्थान से सम्बन्धित आबकारी नीति की समस्त सूचनाएँ, समस्त निविदायें जो संस्थान द्वारा पैकिंग मैटेरियल, रॉ-मैटेरियल के लिए की जाती है, संस्थान की शेयर कैपिटल, संस्थान से सम्बन्धित समस्त पफॉर्मेन्स विवरण, संस्थान में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का संक्षिप्त विवरण, संस्थान के विभिन्न बॉण्डेड वेयरहाउस का विवरण इत्यादि भी उपलब्ध करवाई गई है। उपरोक्त सभी सूचनाएँ समय-समय पर अपडेट की जाती है।

3.6.3 राज्य सरकार के निर्णय अनुसार आबकारी विभाग, RSBCL एवं RSGSM का एक कॉमन इन्टरफेस इन्ट्रीग्रेटेड पोर्टल www.rajexcise.gov.in के रूप में कार्यरत है, जिसमें तीनों सम्बन्धित विभागों की सूचनाएँ, संकलित आंकड़े, राज्य सरकार से सम्बन्धित राजस्व, संस्थान का राजस्व, ई-मेल आधारित सूचनाएँ एक ही स्थान/पोर्टल पर उपलब्ध है। संस्थान के सभी जिला कार्यालयों में ई-मेल आधारित सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।

3.6.4 वर्तमान में संस्थान द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से की जा रही हैं :-

- देशी मदिरा के विपणन का समस्त कार्य यथा वार्षिक अनुबन्ध हेतु दरें प्राप्त करना, सप्लाय शिडयूल जारी करना, सप्लायर द्वारा इन्वाइस बनाना, सभी जिला डिपोज एवं सब-डिपोज पर देशी मदिरा प्राप्ति एवं विक्रय तथा विक्रय के आधार पर भुगतान का कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है।
- चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में गन्ना तौल प्रक्रिया को Weighment प्रणाली द्वारा ऑनलाईन सिस्टम से जोड़ा गया है जिससे जैसे ही किसी वाहन का तौल होता है सूचना सभी सक्षम स्तरों पर आईटी सिस्टम के माध्यम से दर्शित हो जाती है इस प्रकार चीनी उत्पादन प्रक्रिया की समस्त प्रणालियाँ जैसे गन्ना रस प्राप्ति आंकलन (ज्यूस एक्सट्रैक्शन), डेली मैन्यूफेक्चरिंग रिपोर्ट एवं चीनी उत्पादन आदि से सम्बन्धित आंकड़े/तथ्य (डेटा) सक्षम स्तर के लॉगइन के डैशबोर्ड पर ऑनलाईन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। गन्ना काश्तकार जो कि शुगर मिल को गन्ना बेचना चाहता हो ई मित्र पोर्टल पर आनलाईन रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गन्ना काश्तकारों को जन आधार योजना से जोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
- संस्थान के 19 मदिरालयों में मदिरा उत्पादन के कार्य ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने लगे हैं।
- डिपोज पर देशी मदिरा का निर्गमन एवं संधारण बिलवाईज किया जा रहा है।
- संस्थान में सप्लायर्स के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में कन्साईनमेन्ट आधारित प्रक्रिया को बन्द करते हुए वर्तमान में सेल आधारित प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसमें देशी मदिरा के ऑनलाईन विक्रय होने पर प्रति सप्ताह बिके हुए माल का भुगतान अगली भुगतान प्रक्रिया में शामिल करते हुए ऑनलाईन भुगतान किया जाने लगा है। इससे सभी डिस्टलर्स एवं बॉटलर्स को भुगतान सम्बन्धित प्रक्रिया के लिए कन्साईनमेन्ट के सम्पूर्ण विक्रय का इन्तजार नहीं करना होगा। जैसे-जैसे साप्ताहिक विक्रय होगा वैसे-वैसे भुगतान होता रहेगा।
- संस्थान के वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऑनलाईन बैंक चालान प्रक्रिया लागू कर दी गई है। लाईसेन्सी स्वयं के सिस्टम से मोबाईल पर ओ.टी.पी. प्राप्त कर स्वयं चालान बनाता है, तत्पश्चात उस चालान

को बैंक में प्रस्तुत करता है, बैंक द्वारा चालान नम्बर को अपने सिस्टम में डालकर उसकी सत्यता को जाँचा जाता है व उसमें लिखी राशि जमा करने के पश्चात कम्प्यूटर में वैरिफाई कर दिया जाता है। वैरिफिकेशन के आधार पर उक्त चालान की सूचना डिपो पर ऑनलाईन पहुंच जाती है। लाईसेन्सी द्वारा डिपो पर चालान प्रस्तुत किया जाता है, उस चालान को ऑनलाईन सिस्टम से वैरिफाई करते हुए आगे की प्रक्रिया अपनाई जाती है, व मदिरा का निर्गमन लाईसेन्सी को दिया जाता है। इसमें डिपो स्तर पर डिपो प्रभारी को चालान फीड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाईन प्रक्रिया में बैंक में चालान जमा होने के बाद हमारे सिस्टम में सम्बन्धित लाईसेन्सी के खाते में चालान ऑटोमेटिक मय राशि के अपडेट हो जाता है तथा उसे डिपो प्रभारी द्वारा केवल चैक करने के बाद ही माल ईश्यू किया जा सकता है, इसमें गलती की नगण्य संभावना होती है।

- बैंक ऑफ बडोदा, पंजाब नेशनल बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को ऑनलाईन चालान प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इस प्रकार तीन बैंको से ऑनलाईन चालान प्रक्रिया प्रारम्भ करने से एक बैंक पर निर्भरता समाप्त हो गयी है तथा लाईसेन्सी अपनी सहूलियत के अनुसार तीनों में से किसी भी बैंक में आरएसजीएसएम के खाते में राशि जमा करवा सकता है।
- प्राइवेट मदिरा सप्लायर्स से संस्थान के डिपोज पर एवं मदिरालयों से डिपो पर भेजी जाने वाली मदिरा कन्साईमेंट को ऑनलाईन करते हुए ओएफएस आधारित कर दिया गया है, इसके तहत किसी भी कन्साईमेंट को संस्थान के डिपोज पर भेजना होता है तो पहले ओएफएस लेते हुए परमिट जारी करवाते हुए इनवॉइस बनाया जाता है। इसके पश्चात ही अन्डरबॉन्ड माल सम्बन्धित डिपोज पर भेजा जा सकता है।
- आबकारी परमिट को जारी करने की भी ऑनलाईन व्यवस्था लागू कर दी गई है। वर्तमान में दो स्तरों पर ऑनलाईन आबकारी परमिट जारी किये जा रहे हैं, सप्लायर स्तर पर एवं लाईसेन्सी स्तर पर :-

1. सप्लायर स्तर पर :- सप्लायर देशी मदिरा सप्लाय करने हेतु सर्वप्रथम मुख्यालय, जयपुर से ओ. एफ.एस. ऑनलाईन प्राप्त करता है। ओ.एफ.एस. प्राप्त होने पर आबकारी विभाग को परमिट जारी करने हेतु ऑनलाईन रिक्वेस्ट भेजता है। उसी ऑनलाईन रिक्वेस्ट के आधार पर आबकारी विभाग ऑनलाईन परमिट जारी कर देता है। उक्त ऑनलाईन परमिट के आधार पर ही सप्लायर के युजर आई.डी. पर स्वतः ही इनवॉइस बन जाती है, उसमें सप्लायर द्वारा पुनः किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, कुछ अतिरिक्त सूचनाएँ उनके द्वारा बिल जनरेट करने से पूर्व सिस्टम में डाली जाती है, तत्पश्चात ऑनलाईन परमिट के आधार पर बिल जनरेट हो जाता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं ऑनलाईन है।

यदि किसी कारणवश सप्लायर मदिरा की सप्लाय संबंधित डिपो पर आबकारी परमिट तथा ओ.एफ.एस. की वैधता अवधि में नहीं कर पाता है तो आबकारी परमिट व ओ.एफ.एस. की वैधता अवधि विस्तार का ऑनलाईन सिस्टम सुचारू कर दिया गया है।

2. लाईसेन्सी स्तर पर :- लाईसेन्सी स्तर पर, लाईसेन्सी द्वारा सर्वप्रथम आबकारी एवं आरएसजीएसएम की राशि को ऑनलाईन चालान प्रक्रिया द्वारा बैंक में जमा करवाया जाता है। इसके पश्चात आबकारी विभाग के सम्बन्धित आबकारी सक्रिल इन्सपेक्टर द्वारा ऑनलाईन आबकारी परमिट बनाया जाता है। यह परमिट ऑनलाईन सिस्टम द्वारा बनाया जाता है, ऑनलाईन परमिट उनके द्वारा आरएसजीएसएम के सम्बन्धित डिपो पर उपलब्ध स्टॉक के आधार पर ही बनाया जा सकता है, स्टॉक नहीं होने पर परमिट नहीं बन सकता है। परमिट बनने के उपरान्त डिपो पर लाईसेन्सी द्वारा परमिट मय आरएसजीएसएम के चालान के डिपो पर उपस्थित होकर देशी मदिरा ली जाती है। इसमें परमिट के आधार पर ऑनलाईन सेल्स इन्वाइस बनाई जाती है, इसमें डिपो प्रभारी द्वारा किसी भी प्रकार की मैनुअल एन्ट्री नहीं की जाती है, उनके द्वारा ऑनलाईन प्राप्त परमिट एवं ऑनलाईन चालान को वैरिफाई करते हुए सम्बन्धित लाईसेन्सी के बैलेन्स के आधार पर सेल्स इन्वाइस बनाई जाती है।

अनुज्ञाधारी द्वारा किसी कारणवश उसके परमिट की वैधता अवधि के अर्न्तगत डिपो से मदिरा का निर्गमन नहीं लिये जाने के कारण परमिट की अवधि समाप्त हो जाती है। इन परमिटों की वैधता अवधि विस्तार भी ऑनलाईन सिस्टम से बढ़ाये जाने का माड्यूल सुचारु कर दिया गया है।

ऑनलाईन परमिट व्यवस्था के आधार पर ही वर्तमान में देशी मदिरा का क्रय एवं विक्रय किया जा रहा है। इरागें किराी भी प्रकार के अवांछनीय गानवीय हरतक्षेप की संभावना नहीं रहती है, तथा सिस्टम पूर्णतः अपडेट व ऑनलाईन रहता है।

- ऑनलाईन सिस्टम में वर्तमान में दो प्रक्रियाओ को भी ऑनलाईन आबकारी परमिट के साथ जोडा गया है :-
 1. स्टॉक का डिपो से डिपो ट्रान्सफर :- इस व्यवस्था में यदि किसी सप्लायर द्वारा एक डिपो से दूसरे डिपो पर अपना पूर्व का कन्साईमेंट शिफ्ट करना हो तो इस प्रक्रिया को अपनाते हुए ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।
 2. गुड्स रिटर्न टू सप्लायर :- इस व्यवस्था में यदि किसी सप्लायर का कन्साईमेंट यदि किसी डिपो पर काफी समय से रखा हुआ है, और विक्रय नहीं हो रहा है तो संस्थान द्वारा उक्त कन्साईमेंट को वापस संबंधित सप्लायर को भेजे जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रक्रिया भी पूर्णरूप से ऑनलाईन कर दी गई है।
- राजस्थान सरकार के निर्णय अनुसार रुपये 10.00 लाख से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदाओं को राजस्थान सरकार के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडरिंग के द्वारा निविदायें आमंत्रित की जानी आवश्यक थी। इसका मुख्य उद्देश्य निविदा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी रखना है। इसकी अनुपालना में RSGSM में मुख्यालय स्तर पर उपरोक्त से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया रुपये 10 लाख के क्रय से अधिक की सभी निविदायें राज्य सरकार के ई-पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से सफलतापूर्वक सम्पादित करवाई जा रही हैं।
- मदिरा उत्पादन में आवश्यक रॉ-मैटेरियल तथा पैकिंग मैटेरियल के संधारण का कार्य ऑनलाईन किये जाने हेतु मांड्यूल तैयार कर मांड्यूल से रॉ-मैटेरियल एवं पैकिंग मैटेरियल के क्रय हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, सामग्री प्राप्त करने इत्यादि के कार्य को ऑनलाईन कर दिया गया है। इसके साथ ही पैकिंग मैटेरियल एवं रॉ-मैटेरियल का सप्लाय शिड्यूल ऑनलाईन जारी किये जा रहे हैं, एवं उसके साथ ही उक्त मैटेरियल की सप्लाय भी ऑनलाईन डिस्पैच नोट के जरिये प्राप्त की जा रही है।
- राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2013 के अनुसार निविदाओं को <https://sppp.raj.nic.in> पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की निविदा जारी करने में पूर्णतः पारदर्शिता रखी जा रही है।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य सरकार के लिए स्थापित ईमेल सेवा (<https://mail.rajasthan.gov.in>) के अर्न्तगत संस्थान के सभी अधिकारियों, विभागों, मदिरालयों, मदिरा डिपो एवं कर्मचारियों के राजस्थान सरकार से संबंधित ई-मेल अकाउन्ट कार्य में लिये जा रहे हैं।
- संस्थाओं के लिए माल एवं सेवाओ (Goods & Service) के उपापन हेतु DGS & D द्वारा विकसित GeM (Government E-Marketplace) द्वारा उपापन करने की प्रक्रिया उपयोग में ली जा रही है।
- मुख्यालय, जयपुर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित राज-काज पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों/कर्मिकों की ऑनलाईन Leave Apply/ approve की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

- आबकारी नीति 2019-20 के अनुसार Cheap IMFL (EDP Upto Rs. 550) के निर्माण, निर्गमन व विक्रय से संबंधित समस्त कार्य ऑनलाईन किये जा रहे हैं। इसके लिए आरएसजीएसएम डिपोज से आरएसबीसीएल की तर्ज पर Cheap IMFL का विक्रय ITP (Invoice Cum Transport Pass) आधारित प्रक्रिया के आधार पर किया जा रहा है।
- कोविड महामारी के चलते राज्य सरकार के निर्देशानुसार संस्थान द्वारा सेनेटाईजर के निर्माण एवं विक्रय का कार्य किया गया। इसके परिपेक्ष्य में आई.टी शाखा द्वारा संस्थान में सेनेटाईजर के मैटेरियल क्रय, सप्लाय शिड्यूल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं विक्रय आदि से संबंधित समस्त कार्यप्रणाली का ऑनलाईन मॉड्यूल डवलप किया गया है, एवं समस्त कार्य ऑनलाईन किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा मुख्यालय, जयपुर में एक रिटेल आउटलेट खोला गया है, जिसमें विक्रय होने वाले समस्त सेनेटाईजर का आवक-जावक ऑनलाईन सिस्टम से सम्पादन किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त सेनेटाईजर विक्रय के लिए संस्थान में पहली बार यू.पी.आई. सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन क्यूआर कोड आधारित ऑनलाईन भुगतान भी प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था थोक एवं रिटेल दोनों प्रकार की व्यवस्था में भी लागू की गई है। इसमें डी.डी. / नकद / बैंक के अतिरिक्त। Amazon pay, Phone pe, Google pay, Paytm इत्यादि से ऑनलाईन भुगतान प्राप्त किया जा रहा है।

4. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ :-

- ग्राम चक 23 एफ (श्रीगंगानगर से 30 कि.मी.), तह. करणपुर, जिला श्रीगंगानगर में स्थित नई एकीकृत चीनी मिल परियोजना में गन्ना काश्तकार जो कि शूगर मिल को गन्ना बेचना चाहता है वो ई-मित्र पोर्टल पर आनलाईन रजिस्टर भी करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गन्ना काश्तकारों को जन आधार योजना से जोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
- बैंक ऑफ बडोदा, पंजाब नेशनल बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को ऑनलाईन चालान प्रक्रिया से जोडा गया है। इस प्रकार तीन बैंको से ऑनलाइन चालान प्रक्रिया प्रारम्भ करने से एक बैंक पर निर्भरता समाप्त हो गयी है तथा लाईसेंसी अपनी सहूलियत के अनुसार तीनों में से किसी भी बैंक में आरएसजीएसएम के खाते में राशि जमा करवा सकता है।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य सरकार के लिए स्थापित ईमेल सेवा (<https://mail.rajasthan.gov.in>) के अन्तर्गत संस्थान के सभी अधिकारियों, विभागों, मदिरालयों, मदिरा डिपो एवं कर्मचारियों के राजस्थान सरकार से संबंधित ईमेल अकाउंट बना कर कार्य में लिये जा रहे हैं।
- संस्थान द्वारा माल एवं सेवाओं (Goods & Service) के उपापन हेतु DGS & D द्वारा विकसित GeM (Government E-Marketplace) द्वारा उपापन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- मुख्यालय, जयपुर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित राज-काज पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों/कर्मिकों की ऑनलाईन Leave Apply/ approve की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।
- वर्ष 2019-20 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित आबकारी नीति की पालना में एक्साईज ड्यूटी के प्रथम दो स्लेब (रु0 550/- तक) के अन्तर्गत मदिरा निर्माताओं से संस्थान के 97 डिपो पर 25 यूपी IMFL आपूर्ति हेतु संस्थान द्वारा Liquor Source Policy 2019-20 दिनांक 01 जून, 2019 को जारी की गयी, उक्त Policy के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रेवरिज कार्पोरेशन लि0 द्वारा Ex-Distillery Price (ईडीपी) का निर्धारण किये जाने के उपरान्त उत्पाद की बिक्री हेतु कीमत (MRP) का आंकलन राजस्थान स्टेट गंगानगर शूगर मिल्स लि0 द्वारा किया गया था।

- वर्ष 2020-21 की आबकारी पॉलीसी में रास्ती आईएमएफएल के स्थान पर राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) का उत्पादन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। माह जुलाई, 2019 में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि० द्वारा GSM Royal नाम से निर्माण कर बिक्री की जा रही है आरएमएल के संवर्ग में रॉयल व्हिस्की, रॉयल जिन, रॉयल स्मएवं रॉयल वोदका का उत्पादन कर बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।
- संस्थान द्वारा केसर करतुरी 5 यूपी एवं रॉयल हैरिटेज लीकर के दो ब्राण्ड रायल सॉफ एवं रायल चन्द्रहास का 750 एमएल कांच की बोतलो में उत्पादन एवं बिक्री की जा रही हैं। इन तीनों ब्राण्ड का 180 एमएल निप्स की पैकिंग में भी उत्पादन प्रारम्भ किये गये है। इसके अतिरिक्त 5 यूपी केसर करतुरी का गिफ्ट पैक (180 एमएल के 2 निप्स) में भी उत्पादन किया जा रह है। वर्तमान में केसर करतुरी 5 यूपी मदिरा को 90 एमएल(मिनिएचर) की पैकिंग में भी उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में आरएसजीएसएम का नया मदिरालय भवन निर्माण कार्य आरएसआरडीसी को डिपोजिट आधारित व्यवस्था के अनुसार दिया गया है। इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है।
- धौलपुर एवं बांरा पर आरएसजीएसएम एवं आरएसबीसीएल के लिए संयुक्त डिपो RSAMB के माध्यम से डिपोजिट आधार पर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में भी इसी तरह संयुक्त डिपो निर्माण RSRDC के माध्यम से प्रारम्भ कराया जाना है।
- आरएसजीएसएम में आरएमएल मदिरा उत्पादन करने हेतु संस्थान के झोटवाड़ा, हनुमानगढ, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, सर्वाईमाधोपुर, भरतपुर, अजमेर एवं मण्डोर मदिरालयों पर नयी सेमी-ऑटोमेटिक बाटलिंग लाईन स्थापित की जा चुकी है। तथा देशी/आरएमएल मदिरा उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु 16 नयी सेमी-ऑटोमेटिक बाटलिंग लाईन अलग-अलग मदिरालयों पर स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधिन है।
- मदिरा उत्पादन में पैकिंग की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में नयी सेमी-ऑटोमेटिक बाटलिंग लाईन के साथ ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन एवं डोमिनो प्रिन्टर मशीन भी क्रय कर कार्य में ली जा रही है।
- संस्थान द्वारा आबकारी नीति 2020-21 की पालना में फ्रेचाइजी के माध्यम से मदिरालय अजमेर के परिसर में एसेप्टिक ब्रिक पैक में मदिरा का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही बाजार की मांग अनुसार 03 अन्य स्थानों (धौलपुर, कोटा, डूंगरपुर) पर भी फ्रेचाइजी के माध्यम से एसेप्टिक ब्रिक पैक में मदिरा का उत्पादन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
- संस्थान के उत्पादों की गुणवत्ता तथा कच्चे माल/पैकिंग मैटेरियल के प्रतिमानों को सुनिश्चित करने के लिये झोटवाड़ा, जयपुर स्थित प्रयोगशाला (लेब) पर नये उपकरणों से आधुनिकीकरण की गई है।

5. सार-संक्षेप :-

- राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. राज्य सरकार का प्राचीनतम राजकीय उपक्रम है, जिसने सरकार की विभिन्न नीतियों, विशेषकर आबकारी नीति के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सदैव तत्परता से निर्देशित कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन किया है। संस्थान द्वारा प्रदत्त लक्ष्यों की पूर्ति की गई है एवं आबकारी राजस्व सुनिश्चित हुआ है।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों में खुदरा दुकानों का संचालन कर आबकारी नीति की पालना में सकारात्मक योगदान दिया है।
- संस्थान सदैव लाभ की रिश्ति में रहा है। वर्ष 2019-20 में सकल प्राप्ति राशि रूपये 138392.81 लाख में से राज्य सरकार को बॉटलिंग फीस के रूप में रूपये 4721.32 लाख तथा विशेषाधिकार

शुल्क के रूप में रुपये 5000.00 लाख का भुगतान करने के उपरान्त आयकर से पहले अर्जित लाभ रुपये 8719.86 लाख रहा है। संस्थान द्वारा आबकारी विभाग को वर्ष 2004-05 से निरन्तर विशेषाधिकार शुल्क/बोटलिंग फीस का भुगतान किया जाता रहा है।

- संस्थान द्वारा वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सहायता कोष (सी.एम. रिलिफ फण्ड) में रु 35.00 करोड़ की सहायता राशि दी गयी है।
- Ease of doing business के तहत Online payment, Online OFS, Online Challan, Online permit इत्यादि की सुविधा प्रदान की गयी है।



891

RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LIMITED, JAIPUR.

Head Office, Jaipur (EPBAX : 2740246, 2740040, FAX NO. : 0141-2740676)

S.No	Name & Designation	Office	Residence	Intercom	Mobile
01.	T. Ravikant, DIC	2740886	2709931	201	8107500600
02.	Sh. Kesar Lal Meena, GM	2740068		202	9414000317
03.	Sh. Manoj jain, FA	2740541		203	9414120430
04.	Sh. Laxmikant Sharma, Dy. GM (Pur.)	2740841		207	9414284026
05.	Sh. Subash Chandra Mishra, Dy.GM(P&S)				9414027318
07.	Sh. Pawan Kumar Garg, (Co. Secy.) & DGM, (A&T)	2741956		204	9314142211
08.	Sh. Manoj Kumar Tiwari, Dy. GM (A&P)			205	9414873126
09.	Sh. Amar Singh Meena, ACP (Dy. Director)	2740475		236	9742651106
10.	Sh. Ratan Lal Verma Sr. Manager (F.)	2740246		212	9414888468

Sugar Factory, Sriganganagar (Fax No. 01501-248016, Kanta : 01501-248010, Gate : 1501-248011)

S.No	Name & Designation	Office	Residence	Mobile
01.	Smt. Pratishtha Pilaniya, DEO (Addl. Charge of GM)	01501-248015		9414029111
02.	Sh. Vivek Srivastav, Dy. Chief Chemist			9079968902
03.	Sh. Prem Kumar Bhuwal, Chief Engineer (Addl. Charge)			9571479205
04.	Sh. Rampal Verma, Chief Chemist			9936761134
05.	Sh. Sudhir Jawala, CDC			6350280023/ 9896238753
06.	Sh. Rajneesh Kumar, CCDO (Addl. Charge of Dy. GM, A&P)	01501-248044		9759009933
07.	Sh. Lekhraj Khatri, AO (F.)			9414318769

↓
W